कैप्सूल 02

दृष्टि The Vision

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

प्रश्नपत्र-II

संविधान एवं राजव्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

IAS/PCS की मुख्य परीक्षा के
संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रश्नोत्तर शैली में कवरेज

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव / एस.डी. कार्ड / टैबलेट

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव तथा टैबलेट मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर या टैबलेट पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स या टैबलेट कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर **FAQs** पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30–30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट–ऑफ–द–आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि
The Vision

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

प्रश्नपत्र–II

संविधान एवं राजव्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com

E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : संविधान एवं राजव्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

लेखक : टीम दृष्टि

संस्करण- नवंबर 2020

मूल्य : ₹ 270

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

मुख्य परीक्षा के महत्त्व से आप लोग भली-भाँति परिचित हैं ही। प्रारंभिक परीक्षा की भूमिका इस रूप में ज़रूर होती है कि हम सफलता की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इस दौड़ का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हम मुख्य परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करते हैं? इसमें बेहतर करने से न केवल हम सफलता के बेहद नज़दीक पहुँच जाते हैं बल्कि रैंक निर्धारण में भी इसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावी हो जाती है। इसलिये यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और सिविल सेवा में चयन लगभग एक ही अर्थ रखते हैं। इसी उद्देश्य को साधने हेतु हम अब 'मेन्स कैप्सूल सीरीज़' के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके पहले जब हमने 'प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़' को शुरू किया था तो इसे आप पाठकों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ। साथ ही अनेक पाठकों का निवेदन भी प्राप्त हुआ कि इसी तर्ज़ पर हम मुख्य परीक्षा पर भी सामग्री उपलब्ध कराएँ। हमारी टीम पहले से इस दिशा में कार्य कर भी रही थी और अब यह मूर्त रूप में आपके समक्ष उपस्थित है। हम इस सीरीज़ की कुछ बुनियादी बातों को आपसे साझा करना चाहेंगे और फिर विशिष्ट रूप से इस पुस्तक की चर्चा करेंगे।

इस सीरीज़ में कुल चार पुस्तकें होंगी जो क्रमशः सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नपत्रों को संपूर्णता से कवर करेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये एक पृथक् पुस्तक होगी। इसे हमने प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किया है। अब, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि इन विषयों पर तो पहले से बहुत सामग्री है फिर इस सीरीज़ में खास क्या है? तो, ठीक बात है कि इन पर सामग्री की कोई कमी नहीं है लेकिन इन उपलब्ध सामग्रियों में जिस बात का घोर अभाव है, वो यह कि ये ठीक तरीके से लक्ष्य को संबोधित नहीं हैं। आपको बात थोड़ी जटिल लग रही होगी, इसलिये इसकी थोड़ी और चर्चा करते हैं। दरअसल, मुख्य परीक्षा में सफलता मूलतः दो तत्त्वों पर निर्भर करती है- एक सटीक उत्तर लेखन कौशल और दूसरा पूरे पाठ्यक्रम को बार-बार रिवाइज़ करना। अब अगर आपके पास ऐसी सामग्री नहीं है जो पूरे पाठ्यक्रम को प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत करती हो तो आपके लिये बहुत मुश्किल है कि आप पढ़े हुए पाठ का सही उत्तर लिख पाएंगे। साथ ही बार-बार रिवाइज़ करने के लिये आवश्यक है कि सामग्री बहुत विस्तृत और बिखरी हुई न हो। इन्हीं दोनों चुनौतियों से पार पाने के लिये हमने 'मेन्स कैप्सूल सीरीज़' को शुरू किया है, ताकि प्रश्नोत्तर शैली में आप पूरे पाठ्यक्रम को देख सकें और संक्षिप्त व सटीक सामग्री को परीक्षा के पहले कई बार दुहरा सकें।

इस सीरीज़ की दूसरी कड़ी के रूप में 'संविधान एवं राजव्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध' प्रस्तुत है। इसमें हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो खंड परीक्षा के लिहाज़ से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं और जिनसे अधिक प्रश्न पूछने का चलन रहा है, उनसे अधिकाधिक प्रश्न शामिल किये जाएँ। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस कसौटी का ठीक से अनुभव कर पाएंगे। उदाहरण के माध्यम से कहें तो संविधान के उन सभी हिस्सों को ठीक से कवर किया गया है, जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस में परंपरागत और गतिशील तत्त्वों को रेखांकित करते हुए प्रश्नोत्तर तैयार किये गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में आपसे प्रश्न छूटने न पाए। सामाजिक न्याय के खंड को हमने इस अप्रोच से शामिल किया है कि उसका पूरा ही पाठ्यक्रम आपकी नज़रों से गुज़र जाए। इसी प्रकार कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खंड में हालिया घटनाक्रम से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। ये सामग्रियाँ अपने आप में पर्याप्त हैं तथा आपको इसके लिये अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। खासकर जब आप पाठ्य-सामग्री को प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और सटीकता से संपन्न होगी।

प्रश्नोत्तर शैली में एक चुनौती यह भी थी कि प्रश्नों को किस प्रकार से आकार दिया जाए कि वे यूपीएससी के मानक के अनुकूल भी हों और जिनसे पाठ्यक्रम भी संपूर्णता से शामिल हो जाए। हमारी टीम, जिसके सभी सदस्य इस परीक्षा का लंबा अनुभव रखते हैं, ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर अंततः एक कामयाब संतुलन साधा जा सका। पुस्तक से गुज़रते हुए आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। इस सीरीज़ से आपको एक लाभ यह भी होगा कि आप अपने उत्तर लेखन की कला को बेहतर बना पाएंगे। सीमित शब्दों में कैसे पूरी बात कही जा सकती है, इसे सीखने में यह पुस्तक आपकी पूरी मदद करेगी।

आप निश्चिंत होकर इस सीरीज़ को अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी का आधार बना सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इससे आपकी सफलता की संभावना प्रबल होगी। फिर, अगर आप इस पुस्तक के बारे में अपनी कोई बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो **8130392355** नंबर पर वाट्सएप करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।

शुभकामनाओं सहित...
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड-1.....1-91

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

खंड-2.....93-158

गवर्नेंस

खंड-3.....159-193

सामाजिक न्याय

खंड-4.....195-201

कल्याणकारी नीतियाँ

खंड-5.....202-258

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र-II

खंड-1

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

दल-बदल विरोधी कानून क्या है? यह कानून क्यों लाया गया? दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए इस कानून की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

What is the anti-defection law? Why was this law introduced? Analyze the challenges related to anti-defection law and explain the relevance of this law.

उत्तर: वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में 'दल-बदल विरोधी कानून' पारित किया गया। साथ ही संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में 'दल-बदल' की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को निम्न परिस्थितियों में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि–

- एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है।
- कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।
- छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफी अहम भूमिका अदा करते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। हालाँकि आजादी के कुछ ही वर्षों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगीं। 1960-70 के दशक में 'आया राम गया राम' की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो चली थी। दरअसल अक्तूबर 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल-बदल कर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। अंततः वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिये दल-बदल विरोधी कानून लाया गया।

कानून से संबंधित चुनौतियाँ

- दल-बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले दल-बदल पर रोक लगाकर एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए। हालाँकि, यह कानून विधान मंडल सदस्यों को उनके मतदाताओं के हितों के अनुरूप स्वविवेक के आधार पर मतदान करने से प्रतिबंधित करता है।
- दल-बदल विरोधी कानून सरकार पर विधायिका के नियंत्रण को कमजोर करता है क्योंकि यह विधानमंडल सदस्यों को राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर मतदान करने के लिये बाध्य करता है।
- दल-बदल विरोधी कानून वास्तव में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कम करता है और कार्यपालिका के हाथों में शक्ति को केंद्रीकृत करता है।
- इस कानून के अनुसार, सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। हालाँकि, कई ऐसे उदाहरण हैं जब पीठासीन अधिकारी सत्ताधारी राजनीतिक दल के निहित स्वार्थों की पूर्ति करने वाले अभिकर्त्ता की भूमिका निभाने लगते हैं।

हालाँकि हाल के वर्षों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान इत्यादि राज्यों में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले उसने दल-बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किये हैं साथ ही इस कानून की आलोचना इसलिये भी की जाती है कि यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात् 'पार्टी राज' को बढ़ावा देता है। यह भी कहा जाता है कि इसके कारण अंतरदलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है।

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह कानून भारतीय लोकतंत्र के लिये काफी प्रासंगिक साबित हुआ है। इस कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1985 से पूर्व कई बार यह

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

(यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर केंद्रित)

1

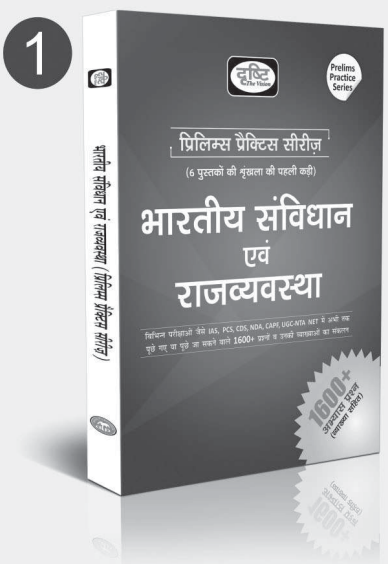

2

3

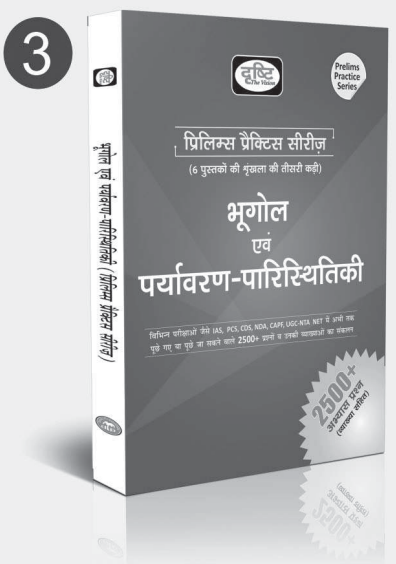

4

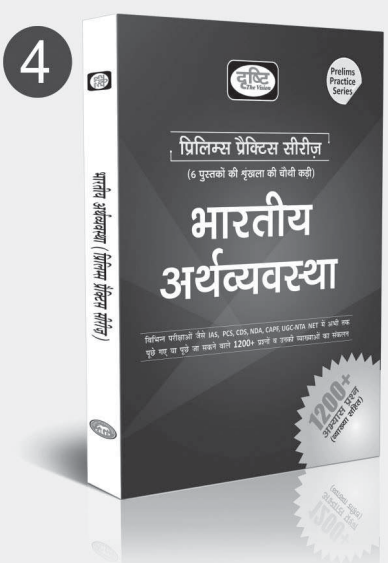

5

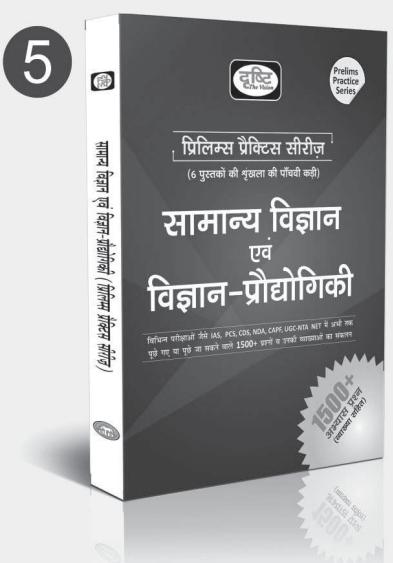

6

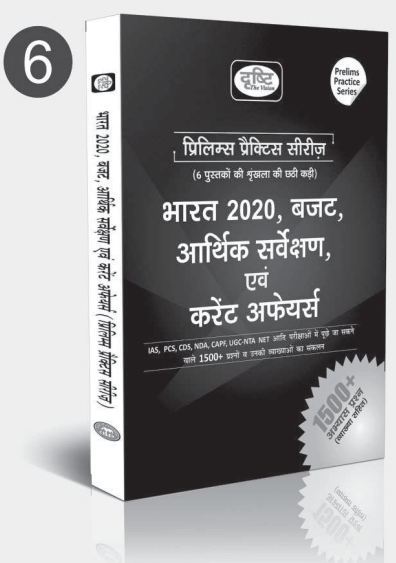

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

खंड-2

गवर्नेंस

"पुलिस सुधार आजादी के बाद से ही सभी सरकारों के एजेंडा पर बने रहे हैं। इसके बावजूद आज भी पुलिस सीमित रूप से दक्ष व वंचित वर्गों के प्रति असंवेदनशील ही नजर आती है।" उपर्युक्त कथन के आलोक में भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता व इस दिशा में अब तक किये गए कार्यों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Police reforms have been on the agenda of all governments since independence. Despite this, even today the police are seen as selectively efficient, unsympathetic to the underprivileged."In light of the above statement, discuss the need for police reforms in India and the work done so far in this direction.

उत्तर: देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद व कानून व्यवस्था की समस्या जैसे खतरों से निपटने के लिये एक दक्ष व प्रभावी पुलिस तंत्र अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिये पुलिस तंत्र की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पुलिस के प्रशासनिक व इससे जुड़े विधिक ढांचे तथा पुलिस तंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का प्रभावी निदान करना बेहद महत्त्वपूर्ण है।

पुलिस व्यवस्था में सुधारों की मांग बीते कई दशकों से समय-समय पर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनती रही है। हाल में भी तमिलनाडु में दो लोगों की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मृत्यु व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किये गए एक विवादित एनकाउंटर के बाद पुन: पुलिस व्यवस्था की कमियाँ उजागर हुई व इसमें सुधारों की मांग पर पुन: बहस आरम्भ हुई।

भारत की पुलिस व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता की पड़ताल करने पर निम्न बातें सामने आती हैं-

- BPRD के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य पुलिस बलों में कर्मियों की वास्तविक संख्या स्वीकृत संख्या से लगभग 5 लाख कम है। पुलिस में मानव संसाधन की इस कमी को दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- पुलिस के पास जाँच के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी व तकनीकी व कौशल के अभाव में ठीक से जाँच नहीं हो पाती और कभी-कभी इसका असर उचित न्याय मिलने की प्रक्रिया पर भी पड़ता है।
- भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने पुलिस संबंधी कानून ब्रिटिश काल के 1861 के अधिनियम के आधार पर बनाए हैं, जिसके कारण ये कानून अपराध की निरंतर बदलती प्रवृत्ति से निपटने में पूर्णत: सक्षम नहीं है।
- अधिकांशत: पुलिस की छवि क्रूर, अकुशल और दुर्बल व वंचित वर्गों के प्रति संवेदनहीन होने की है। पुलिस पर आए दिन राजनीतीकरण और अपराधीकरण के आरोप लगते रहते हैं।

इसके अलावा निम्न बिंदुओं के माध्यम पुलिस सुधारों की दिशा में अब तक किये गए कार्यों को देखा जा सकता है-

- 1971 में केंद्र सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति तथा 1977 में 'राष्ट्रीय पुलिस आयोग' का गठन किया गया। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन, पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय करना और एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाना आदि शामिल था। हालाँकि ये सिफारिशें लागू नहीं की गईं।
- इसके बाद 1998 में रिबेरो समिति, 2000 में पद्मनाभैया समिति व 2003 में मलिमथ समिति का गठन पुलिस व आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों हेतु गठित कि गईं।
- पुलिस सुधारों की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम 2006 में सर्वाच्च न्यायालय द्वारा 'प्रकाश सिंह मामले' में दिया गया निर्णय रहा।
- निर्णय में न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों को पुलिस के कामकाज के लिये दिशा-निर्देश तय करने, नियुक्ति और हस्तांतरण का निर्णय लेने तथा पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायतें दर्ज करने के लिये प्राधिकरणों के गठन का आदेश दिया था।
- न्यायालय ने प्रमुख पुलिस अधिकारियों को मनमाने हस्तांतरण और नियुक्ति से बचाने के लिये उनकी सेवा की न्यूनतम अवधि तय करने को भी अनिवार्य किया था। हालाँकि देश के अधिकांश राज्यों ने अभी तक इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है।

इसके बाद यदि पुलिस सुधार हेतु अन्य सुझावों की बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों का यथासंभव अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसके अलावा SMART रणनीति को लागू करते हुए पुलिस में मानव संसाधन व उचित प्रशिक्षण की कमी को दूर करना, विधायी सुधारों के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक उत्पादक बनाना, बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करना, आदि कार्य किये जा सकते हैं। इसके साथ ही, पुलिस बलों को प्रौद्योगिकीय रूप से सक्षम बनाते हुए एक सुदृढ़ पुलिस तंत्र तैयार किया जाना चाहिये व ऐसा होने तक पुलिस सुधार निरंतर हमारी सामाजिक व राजनीतिक प्राथमिकता का भाग बना रहना चाहिये।

हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन श्रम संहिताएँ सरकार के देश के श्रम कानूनों को सरल बनाने व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने की कवायद का हिस्सा हैं, परंतु इसे श्रमिकों को असुरक्षित करने का उपकरण बनने से रोकना होगा। इस संदर्भ में तीनों संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इनसे जुड़ी चिंताओं की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The three Labor Codes recently passed by the Parliament are part of the government's quest to simplify the country's labor laws and improve the Ease of Doing Business, but it must be prevented from becoming a tool to make workers unsafe. In this context, mentioning the major provisions of the three codes, discuss the concerns regarding them.

खंड-3

सामाजिक न्याय

देश में 'दो बच्चों की नीति' लागू करने पर विचार बहुत समय से चल रहा है। हाल में इस संदर्भ में राज्यसभा के एक सदस्य ने निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया है। इसके प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए 'दो बच्चों की नीति' के पक्ष व विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द) 15

The idea of implementing the 'Two Children Policy' has been going on for a long time in the country. Recently in this context, a member of the Rajyasabha has introduced a Private Member Bill. Mentioning its key points present views in favor and opposition of 'Two Children Policy'.

उत्तर: जनसंख्या में होती अप्रत्याशित वृद्धि ने देश के भीतर कई चुनौतियों को जन्म दिया है। परिवार नियोजन के संदर्भ में देश में 'हम दो, हमारे दो' का नारा सत्तर-अस्सी के दशक से ही लोकप्रिय है। लेकिन इन प्रयासों को धरातल पर लाने के लिये अभी कोई कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान न होने से, ये वांछित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सके हैं।

इस संदर्भ में मार्च 2018 में दो 'बच्चों की नीति की आवश्यकता' पर उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 'नीति-निर्माण का कार्य न्यायालय का नहीं होने' का हवाला देकर याचिका खारिज कर दी।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राज्यसभा के एक सदस्य द्वारा 'दो बच्चों की नीति' के निर्माण हेतु एक निजी (गैर-सरकारी) विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

- विधेयक संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद-47 के अंतर्गत एक नए अनुच्छेद-47(A) को शामिल करने की मांग करता है, जो 'छोटे परिवार' हेतु निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले लोगों से सभी रियायतें वापस लेने से संबंधित है।
- परिवार का आकार दो बच्चों तक सीमित रखने वाले लोगों हेतु रोज़गार, शिक्षा और कराधान के प्रोत्साहन का प्रावधान इस विधेयक में है।

नीति के समर्थन में तर्क

- बढ़ती बेरोज़गारी, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, अशिक्षा, प्रदूषण तथा अपराध जनसंख्या विस्फोट का ही परिणाम हैं, अत: ऐसी चुनौतियों के समाधान के रूप में जनसंख्या नियंत्रण के नीतिगत उपाय आवश्यक हो जाते हैं।
- बढ़ती जनसंख्या ने कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे फसल उत्पादन तथा खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो रही है, परिणामस्वरूप खाद्यान्न का असमान वितरण तथा खाद्य संकट जैसी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
- जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण आय का असमान वितरण सामाजिक-आर्थिक असमानता के परिणामों को सामने लाएगा, अत: 'दो बच्चों की नीति' इस दिशा में कारगर उपाय सिद्ध होगी।
- देश में भूमि की उपलब्धता सीमित है तथा संसाधनों में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम है,अत: ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन को अपनाना आवश्यक है।
- 'दो बच्चों की नीति' सतत् विकास लक्ष्यों (2015-30) की प्राप्ति में भी सहायक साबित हो सकती है।

नीति का विरोध क्यों?

- इस नीति को अपनाकर देश भविष्य के जनांकिकीय लाभांश के संभावित लाभों से वंचित हो सकता है।
- 'दो बच्चों की नीति' के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर दबावपूर्वक नसबंदी और गर्भपात जैसे उपाय अपनाए जाने की आशंका है, जो राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे।
- इस नीति से दीर्घकाल में वृद्ध जनसंख्या में एकाएक वृद्धि तथा युवा जनसंख्या में एकाएक कमी होगी।
- यह लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विपरीत है।

निश्चित रूप से भारत में जनसंख्या वृद्धि ने विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को जन्म दिया है, किंतु इसके नियंत्रण हेतु कानूनी तरीका उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता। इसके बजाय विवाह की आयु में वृद्धि व परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना, जनसंख्या स्थरीकरण फंड की स्थापना, जागरूकता अभियान, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा परिवार नियोजन से जुड़े व्यक्तियों हेतु आर्थिक प्रोत्साहन, साथ ही N.G.O., S.H.G व महिलाओं की व्यापक रूप से भागीदारी जैसे उपाय दीर्घकाल में अधिक प्रभावी सिद्ध होंगे।

क्या आपको लगता है कि आज के समय में हमारी वरीयता सिर्फ बच्चों का पेट भरना न होकर उन्हें एक संतुलित और पोषित आहार देना होना चाहिये? भारत में कुपोषण के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे निपटने हेतु सुझाव दीजिये। यह भी बताइये कि 'फूड फोर्टिफिकेशन' किस प्रकार कुपोषण से निपटने में सहायक हो सकता है? (250 शब्द) 15

Do you think that in today's time, our preference should be not just to feed the children, but to give them a balanced and nourished diet? Highlighting the causes of malnutrition in India, give suggestions on how to deal with this. Also, explain how 'food fortification' can be helpful in combating malnutrition?

उत्तर: हाल ही में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन द्वारा भारत के सभी

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

(IAS तथा PCS की मुख्य परीक्षाओं पर केंद्रित)

पुस्तकों की विशेषताएँ

- प्रश्नोत्तर शैली में मुख्य परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज़
- उत्तर लेखन की तकनीक पर विशेष बल
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न
- विषय आधारित संभावित टॉपिक्स के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन
- मुख्य परीक्षा के अभ्यास हेतु प्रश्नों का संपूर्ण सेट
- प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्विक रिवीज़न

शीघ्र ही नज़दीकी बुक स्टॉल, दृष्टि लर्निंग ऐप
तथा drishtiias.com पर उपलब्ध...

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें : 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

खंड-4

कल्याणकारी नीतियाँ

भारत के युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने की दिशा में अनेक चुनौतियाँ हैं। 'अटल इनोवेशन मिशन' इन चुनौतियों का सामना करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा करें। (150 शब्द) 10

There are many challenges to creating job opportunities for the youth of India. How can the 'Atal Innovation Mission' be helpful in facing these challenges? Discuss.

उत्तर: भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, परंतु कुछ नीतिगत कमियों के कारण इन युवाओं के लिये अपेक्षित रोज़गार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण निम्न हैं-

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव;
- कौशल का निम्न स्तर;
- विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास;
- जनसंख्या में होती तीव्र वृद्धि;
- तकनीकी एवं वोकेशनल शिक्षा का अभाव।

अत: रोज़गार के विकल्पों की कमी के साथ-साथ आवश्यक योग्यता का भी अभाव रोज़गार प्राप्त करने में बड़ी बाधा है। अटल इनोवेशन मिशन इन्हीं ख़ामियों को कम करने पर बल देता है। इसका उद्देश्य भारत में इनोवेशन एवं उद्यमिता का ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ युवा सिर्फ रोज़गार मांगने वाले न रहें बल्कि नए रोज़गारों का सृजन भी कर सकें।

- यह मिशन भारत में स्कूलों, विश्वविद्यालयों के साथ-साथ उद्योगों को भी शामिल करता है।
- यह मिशन छात्रों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिये 'अटल टिंकरिंग लैब', स्टार्टअप की मदद के लिये 'अटल इंक्यूबेटर' की स्थापना का प्रावधान करता है।

नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टार्टअपों को समर्थन देने हेतु हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन एक व्यापक रणनीति के माध्यम से रोज़गार संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में सफल हो सकता है।

वर्तमान समय में सौर ऊर्जा को सिंचाई और किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने में सक्षम साधन के रूप में पहचाना गया है। इसी संदर्भ में 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (कुसुम) के उद्देश्यों, विशेषताओं और संभावित लाभों की चर्चा करें। (150 शब्द) 10

At present, solar energy has been recognized as an efficient means of ensuring irrigation and additional income of farmers. Discuss the objectives, characteristics and potential benefits of the Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan' (KUSUM) in this context.

उत्तर: किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (कुसुम) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 10000 MW के सोलर प्लांट बंजर भूमि पर 2021-22 तक लगाए जाएंगे। इस अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- सौर जल पंपों के माध्यम से किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- राज्यों के सिंचाई विभाग को विश्वसनीय रूप से ऊर्जा प्रदान करना।

विशेषताएँ

- इस योजना के तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के पश्चात् अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं।
- किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये शुरुआती तौर पर सिर्फ 10 प्रतिशत राशि ही देनी पड़ती है, शेष 30 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में तथा 60 प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

संभावित लाभ

- इस योजना के लागू होने से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तथा डीज़ल की खपत कम होगी।
- बंजर भूमि का समुचित उपयोग हो पाएगा।
- सिंचाई के लिये आवश्यक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

इस योजना से ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्राप्त होगा और किसान उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत वितरण कंपनियों को भी बेच सकेंगे।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि कुसुम योजना सिंचाई के लिये विद्युत ऊर्जा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों को जल सुरक्षा तथा आय की सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

विद्यालयी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इस योजना के घटकों की भी संक्षिप्त चर्चा करें। (250 शब्द) 15

Explaining the objectives of the Samagra Shiksha Scheme Started by the Government of India to make the school education effective, discuss in brief the components of this plan.

उत्तर: भारत सरकार ने विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये समग्र शिक्षा योजना को प्रारंभ किया है। इसमें पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक को स्कूल मानते हुए पहले की केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे- सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक-शिक्षा जैसी योजनाओं का विलय किया गया है।

खंड-5

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रवासी भारतीयों की भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और भारतीय हितों को संरक्षित रखते हुए भारत की कूटनीतिक क्षमता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

Indian Diaspora have an important role in accelerating the Indian economy and enhancing India's diplomatic capacity while preserving Indian interests. Explain.

उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन (इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन) द्वारा प्रस्तुत 'ग्लोबल माइग्रेशन रिपार्ट, 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रवासियों की संख्या भारतीयों (17.5 मिलियन) की है और प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषित धन (78.6 बिलियन डॉलर) (Remittance) भी भारत को प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्य प्रवासी भारतीयों का भारतीय अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान को स्पष्ट करते हैं।

प्रवासी भारतीयों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

- प्रवासी भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं। एकतरफ यदि प्रेषित धन या रेमीटेंस भेजकर भारत के विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करते हैं, तो दूसरी तरफ भौतिक तथा सामाजिक आधारभूत संरचना में निवेश करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और गरीबी तथा भुखमरी जैसी समस्याओं को कम करते हैं।
- देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब व्यापक रूप से अर्थिक तथा मानवीय क्षति होती है; तब इस संकट से उभारने के लिये भी प्रवासी भारतीयों ने मदद की है; जैसे कि वर्ष 2018 में केरल में आयी बाढ़ त्रासदी ने केरल की अर्थव्यवस्था, संसाधनों आदि को गंभीर क्षति पहुँचायी थी; तब आधारभूत संरचना पुनर्निर्माण तथा इस संकट से उभारने के लिये केरल के पश्चिम एशिया में निवासरत प्रवासियों ने अत्यधिक राशि केरल सरकार को प्रदान की। केरल तथा गुजरात जैसे राज्यों की आर्थिक संवृद्धि और विकास में संबद्ध राज्य के प्रवासियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- प्रवासी भारतीय अपने वैज्ञानिक-तकनीकी एवं उच्च प्रबंधन कौशल और नवाचारी प्रवृत्ति का प्रयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था को 'ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था' में रूपांतरित करने और भारत को 'स्टार्ट-अप हब' बनाने के लक्ष्य में असीम सहयोग कर सकते हैं। साथ ही मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास अभियान, डिजिटल इंडिया, किसानों की आय को दुगुना करना, आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता दे सकते हैं। यदि इन कार्यक्रमों में प्रवासी भारतीयों को शामिल करने की उचित रणनीति तैयार की जाए।

भारतीय हितों के संरक्षण और कूटनीतिक क्षमता को बढ़ाने में प्रवासी भारतीयों का योगदान

- प्रवासी भारतीय, भारत की 'सॉफ्ट पावर' के महत्त्वपूर्ण कारक हैं। ये विदेशों में भारतीय संस्कृति और उत्पादों का प्रचार-प्रसार करते हैं और भारतीय उत्पादों की विदेशों में बिक्री के लिये बेहतर वातावरण को निर्मित करते हैं। फलत: भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होती है। योग जो आज वैश्वीकरण का एक सफल उत्पाद है, उसे प्रचारित-प्रसारित करने में इनकी अद्वितीय भूमिका है।
- प्रवासी भारतीय 'पीपुल-टू-पीपुल संपर्क' और सांस्कृतिक कूटनीति का बेहतर माध्यम बनते हैं, जिसके बल पर भारत अपने आर्थिक एवं रणनीतिक हितों की रक्षा कर सकता है। यूरोपीय देशों से बेहतर संबंध निर्माण में इनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- अनेक विकसित देशों में भारतीय डायस्पोरा अत्यंत सशक्त है और वहाँ की राजनीति एवं सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों की अधिक संख्या है, साथ ही राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व भी है। इसलिये भारतीय हितों के लिये ये 'लॉबिंग' की भाँति कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ 2008 के अमेरिका-भारत सिविल परमाणु समझौते को पूरा करने में प्रवासी भारतीयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी।
- राजनीतिक दबाव, मंत्रिस्तरीय और राजनयिक स्तर की पैरवी के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता का समर्थन जुटाने के लिये विभिन्न देशों में मौजूद अपने प्रवासी समुदाय का भारत राजनीतिक एवं कूटनीतिक इस्तेमाल कर सकता है।
- अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई जैसे 'ग्लोबल इंडियंस संपूर्ण विश्व में भारत की सकारात्मक एवं सशक्त छवि का निर्माण करते हैं।
- प्रवासी भारतीयों में भारतभूमि के प्रति 'अपनत्व' की भावना को और अधिक विकसित करके और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़कर उनसे आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक लाभ प्रदान करने के लिये अनेक कार्यक्रमों तथा नीतियों को संचालित किया जा रहा है: प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मान, भारत को जानो कार्यक्रम, जड़ों की खोज कार्यक्रम, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना आदि।

अत: वैश्विक मंच पर भारत के प्रभुत्व में वृद्धि करने, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और भारत की संवृद्धि एवं विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को नकारना असंभव है। प्रवासी भारतीयों का भारत से लगाव को मज़बूत करने के लिये उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना, विकासात्मक और नीतिगत गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना जैसे उपाय करने होंगे।

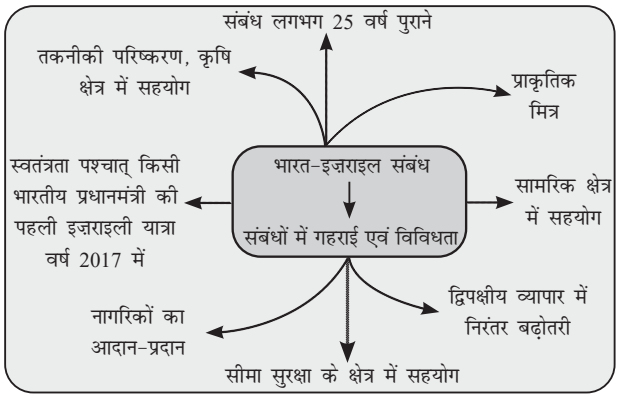

- इज़राइल के विकसित एवं तकनीकी राष्ट्र होने के कारण दोनों देशों के मध्य कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संचार क्षेत्र में भी सहयोग देखा जा सकता है। इसके अलावा, संबंधों की गहराई एवं विविधता को दोनों के बीच नागरिकों के आदान-प्रदान अर्थात् पर्यटन के रूप में देख सकते हैं।

निष्कर्षत: इज़राइल कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है, साथ ही स्वतंत्रता पश्चात् पहली बार वर्ष 2017 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इज़राइल की यात्रा की जो दोनों देशों के मध्य संबंधों की गहराई और विविधता को दर्शाता है। आलोचकों का मत है कि भारत-इज़राइल संबंध फिलिस्तीन के विरुद्ध होने के साथ ही पश्चिम एशिया में भारत के हितों के प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन भारत-इज़राइल संबंधों को फिलिस्तीन के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिये। विदित हो कि भारत द्वारा फिलिस्तीन एवं पश्चिम एशियाई देशों के साथ मधुर, मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास पर समानांतर बल दिया जा रहा है जिससे पश्चिम एशिया में भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जा सके।

मध्य एशिया, जो भारत के लिये एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

A number of outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is a zone of internet to India. Discuss the implications, in this context, of India's joining the Ashgabat Agreement, 2018.

उत्तर: भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और महाशक्ति होने के कारण यहाँ के राष्ट्रीय हित व्यापक हैं। इस कारण मध्य एशिया का, भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण हित क्षेत्र होना स्वाभाविक है।

उल्लेखनीय है कि मध्य एशिया भारत के लिये हित क्षेत्र होने के कारण 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के तहत मध्य एशियाई देशों के साथ संचार व परिवहन की कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। इन देशों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा मध्य एशियाई देश भारतीय वस्तुओं के निर्यात के नए केंद्र बन सकते हैं। साथ ही, मध्य एशिया के देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिसे संतुलित करने के लिये इन देशों से संबंध बेहतर होने आवश्यक हैं। मध्य एशियाई देश सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

मध्य एशिया में अनेक बाह्य शक्तियों, जैसे- चीन और रूस ने स्वयं को संस्थापित कर लिया है। मध्य एशिया में बढ़ती कट्टरवादी विचारधारा से रूस की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और महाशक्ति होने के कारण रूस के द्वारा इस क्षेत्र पर सदैव अपना प्रभाव बनाया गया है। दूसरी ओर चीन मध्य एशियाई देशों में अपनी गहरी पैठ बना चुका है। वर्तमान में चीन सिल्क मार्ग के द्वारा चीन समूचे क्षेत्र का प्रभावी विकास कर रहा है।

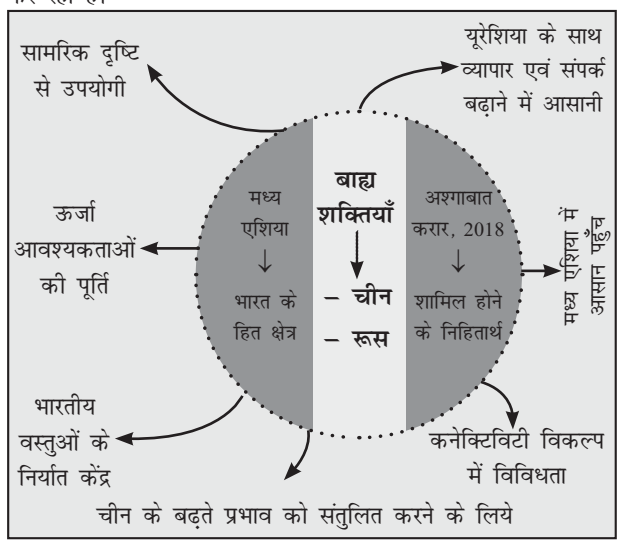

उल्लेखनीय है कि अश्गाबात समझौता मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं की आवाज़ाही को सुगम बनाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारा है। इस समझौते में शामिल होने के निम्नलिखित निहितार्थ हैं-

- समझौते में शामिल होने से भारत को यूरेशिया क्षेत्र के साथ व्यापार एवं व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने में आसानी होगी। भारत लंबे समय से यूरोप और मध्य एशिया तक अपनी पहुँच बनाने के लिये सुगम, सस्ते तथा छोटे रास्ते खोजने में लगा था, जिसकी सुनिश्चितता की जा सकेगी।
- इससे भारत को ईरान के रास्ते से होकर मध्य एशिया में पहुँचने की राह मिल गई है। मध्य एशिया के देश भौगोलिक रूप से भारत के अधिक निकट हैं, बावजूद इसके बेहतर कनेक्टिविटी व संचार के अभाव में भारत की इन देशों से संबंधों में प्रगाढ़ता व मुधरता नहीं बढ़ सकी, लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
- इस समझौते में प्रवेश से मध्य एशिया के साथ भारत के कनेक्टिविटी विकल्प में विविधता आएगी। अनुमान के मुताबिक इस मार्ग से भारतीय उत्पादों को मध्य एशिया में भेजना न सिर्फ 30 फीसदी सस्ता है बल्कि इसे 40 फीसदी कम समय में भेजा जा सकता है।

निष्कर्षत: इस समझौते में शामिल होना अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा के क्रियान्वयन की दिशा में भारत के प्रयासों को समन्वित करता है। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत का व्यापार सीधे

तेज़ी से बदलते वक्त
और डिजिटल होती दुनिया के साथ
हम भी रख रहे हैं कदम,
पढ़ाई-लिखाई के ऑनलाइन संसार में

Drishti Learning App

पर आपका स्वागत है

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव, टैबलेट मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।
- दृष्टि की वेबसाइट पर उपलब्ध डेली करेंट अफेयर्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, क्विज़ तथा कई अन्य सुविधाएँ।
- हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल्स के सभी वीडियो वर्गीकृत रूप में उपलब्ध।
- टॉपर्स की उत्तर-पुस्तिकाएँ, एनसीइआरटी प्रश्नोत्तरी, हज़ारों अभ्यास प्रश्नों की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन, पेनड्राइव, एस.डी. कार्ड एवं टैबलेट मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

Quick Book सीरीज़ की पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Phone: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 270